21.5.16. पत्रावली पेश हुई। कैम्प मामलों में हुई। पत्रावली में निर्णय आलोक से किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया जावे।

पत्रावली [illegible] की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

16/5/17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प आयोजन में प्रस्तुत हुई। वकील वादी ने संशोधन प्रार्थना पत्र अनुसार [illegible] वादी [illegible] के पिता का नाम [illegible] गलत अंकित हो गया था। वादी [illegible] खसरा नं० [illegible] सही अंकित करने हेतु [illegible] वास्तविक [illegible] निवेदन किया है। राजस्व [illegible] पत्रावली [illegible] आयोजन में [illegible] 134 [illegible] अवलोकन किया गया। जिसमें वादी [illegible] 2 [illegible] के पिता का नाम [illegible] 79/16 अंकित हुआ है। [illegible] अंकित है। पत्रावली का [illegible] 100/16 [illegible] [illegible] वकील वादी [illegible] खाता [illegible] किया जाकर [illegible] अंकित [illegible] [illegible] है कि [illegible] 2 [illegible] खसरा नं० [illegible] अंकित किया जावे। पत्रावली [illegible] जावे के प्रकरण का 79/16 के बजाय 100/16 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा द्वारा आयोजित दीवानी फौजदारी राजस्व प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.05.2016 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट– मालोला

पीठासीन अधिकारी उम्मेदसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 79/2016

1 उदयलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
2 भैरूलाल पिता देउ गुर्जर निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
3 देउ पुत्री हरदेव गुर्जर निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
4 नौसर पिता हरदेव गुर्जर निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
5 उदी पत्नी हरदेव गुर्जर निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1 टीना पत्नी सत्यनारायण गुर्जर निवासी आर0के0कॉलानी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2 सयरी पुत्री रामलाल गुर्जर निवासी नाथे का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
3 फेफी पत्नी रामलाल गुर्जर निवासी नाथो का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
4 अर्जुन पिता चतुर्भुज गुर्जर निवासी नाथो का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
5 रायमल पिता चतुर्भुज गुर्जर निवासी नाथो का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
6 लक्ष्मण पिता नारायण गुर्जर निवासी नाथो का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
7 मोहन पिता नारायण गुर्जर निवासी नाथो का खेडा (मालोला) तहसील व जिला भीलवाडा
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 21.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 22.03..2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला प0म0 मालोला तहसील भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1592 रकबा 0–08, आ0नं0 1615/5 रकबा 0–08 कुल किता 2 कुल रकबा 0–16 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय ने दिनांक 08.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम मालोला प0म0 मालोला मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ0न0 1592 रकबा 0–08, आ0नं0 1615/5 रकबा 0–08 कुल किता 2 कुल रकबा 0–16 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 100/–रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 21.05.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रतिलिपि— तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रमाणित प्रति
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा